सारण जिले के मशरक थानान्तर्गत जेजौली पंचायत गंडामन गांव के धर्मासती प्राथमिक विद्यालय में विषयुक्त मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों के मृत्यु के सम्बंध में तथ्य अन्वेषण प्रतिवेदन।

तथ्य अन्वेषण के बिन्दू

1. मृत्यु के कारण की जाँच
2. मृत्यु से प्रभावित परिजनों की जान–माल की स्थिति
3. प्रधान शिक्षिका व सरकारी कर्मचारियों की भूमिका
4. मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया।
5. पीड़ित बच्चे एवं परिजनों की वर्तमान स्थिति
6. पीड़ित परिजनों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति
7. सिफारिशें

जाँच दल के सदस्यों के नाम

1. उदय कुमार, अधिवक्ता – पटना उच्च न्यायालय (दाशरा)
2. देवेश नाथ दीक्षित (अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति, सारण)
3. रौशन कुमार (दाशरा)
4. अतुल कुमार (दाशरा)
5. मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी (दाशरा, भोजपुर)
6. सिस्टर ज्योति (एस.एम.एम.आई., छपड़ा)
7. सिस्टर फिलोमीना (एस.एम.एम.आई., छपड़ा)
8. दिनेश कुमार, (पत्रकार, मशरक, छपड़ा)

दिनांक – 19/7/2013 और 20/7/2013

पृष्ठभूमि

सारण जिले के मशरक थानान्तर्गत छः किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम–उत्तर दिशा की ओर जजौली पंचायत में धर्मासती गंडामन गाँव स्थित है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह पिछड़ी एवं दलित बहुल गाँव है। इस गाँव में यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, नोनिया, कानू, ठाकुर एवं दलित समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस गाँव में एकमात्र स्कूल प्राथमिक विद्यालय है। सभी जातियाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस गाँव के ज्यादातर मकान कच्चे हैं।

वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से यहां के अधिकतर लोग खेतिहर मजदूरी पर आश्रित हैं। मजदूरी से होनेवाले आय से अपने परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण करते हैं। अधिकतर लोगों के पास कोई खेत नहीं है। लोग साधारण जिन्दगी व्यतीत करते हैं। अधिकतर लोग दूसरे प्रदेशों में जीविकोपार्जन हेतु अन्य राज्यों में गए हुए हैं।

घटना का विवरणः– दिनांक – 16/7/2013 को दिन के बारह बजे धर्मासती गंडामन के प्राथमिक विद्यालय में लगभग – 50–55 बच्चे उपस्थित हुए थे। और दिनों की अपेक्षा तीन गुना ज्यादा बच्चे उपस्थित थे। चूंकि उस दिन विद्यालय के प्रधान शिक्षिका मीना देवी के पति–अर्जुन

राय ने गाँव में घूमकर किताब बंटने की बात कही थी।

विद्यालय सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा था। इसमें न खिड़कियां थी, और न ही दरवाजे। यहांतक कि बच्चों के लिए खाना भी स्कूल के खुले बरामदे में बनाया जाता था। उस दिन प्रधान शिक्षिका मीना देवी के अलावा और कोई शिक्षिका नहीं थी। स्कूल में मात्र दो शिक्षिका बहाल थी। दूसरी शिक्षिका डिलीवरी होने के लिए 15 दिनों से छुट्टी पर थी। मीना देवी ने विद्यालय के एक बच्चे से अपने घर से सरसों का तेल डब्बा में लाने का आदेश दिया। शिक्षिका के घर के किसी सदस्य ने कीटनाशक युक्त डब्बे में सरसों का तेल डालकर दे दिया। उक्त बच्चा तेल का डब्बा लाकर रसोईया मंजू देवी को दे दिया। रसोईया मंजू देवी ने जैसे ही तेल को कड़ाही में डाला, जोर का धुआँ उठा, जिससे वह बेहोश होने लगी। उसने इसकी शिकायत मीना देवी से किया। लेकिन उन्होंने रसोईया के बात पर कोई ध्यान नहीं दिया एवं खाना बनाने का आदेश दे दिया। उस दिन भात एवं सोयाबीन आलू का सब्जी बना। लेकिन सब्जी का रंग काला हो चुका था। प्रधान शिक्षिका उस माड़–भात खायी। सब्जी को नहीं चखी। खाना बच्चों को परोसा गया, तो बच्चे इस तरह की सब्जी देखकर खाने से इंकार कर दिया। लेकिन प्रधान शिक्षिका मीना देवी ने बच्चों को डरा–धमकाकर जहरीला खाना खाने को मजबूर कर दिया। बच्चों ने खाना खा लिया। 50 में से 2 बच्चे जिसका नाम–सुजीत कुमार एवं चंदन कुमार था, किसी तरह छुपाकर खाना अपने घर लेकर चला गया, जिससे उसकी जान बच गई। बाकी 48 बच्चों ने खाना खाया और सभी को पेट में दर्द एवं मुंह से झाग निकलने लगा। देखते–देखते कुछ बच्चे की मृत्यु हो गई एवं कुछ ने रास्ते एवं अस्पताल में दम तोड़ दिया। 25 बच्चों का इलाज पीएमसीएच में जारी है। बाकी 23 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 लड़कियाँ एवं 11 लड़के हैं। यह क्रमशः यादव जाति –7, ब्राह्मण–4, कानू–1, ठाकुर–1, नोनिया–8 एवं अनुसूचित जाति के 2 बच्चे शामिल हैं।

प्रधान शिक्षिका पर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है, मशरक थाना काण्ड संख्या 154/2013 दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 302/307/328/120 बी. के अन्तर्गत सूचक अखिलानन्द मिश्र द्वारा दिनांक – 16/07/2013 को प्रधानाध्यापिका मीना देवी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन उपर्युक्त प्राथमिकी में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा 3(2) (V) दर्ज नहीं है जबकि मृतक राहुल कुमार, पिता–सतेन्द्र राम अनुसूचित जाति के रविदास उपजाति का सदस्य है। और तथ्य अन्वेषण तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्त फरार है। पीड़ितों को आपदा प्रबंधन विभाग से 1,50,000.00 एवं मुख्यमंत्री कोश से 50,000.00 रू॰ के राशि का चेक 23 परिवारों को दिया गया है।

मृत बच्चे की सूची

1. काजल कुमारी, पिता–रामानन्द साव, उम्र–5 वर्ष
2. सोनी कुमारी, पिता–नागेन्द्र महतों, उम्र–8 वर्ष
3. दीपू कुमारी, पिता–अजय कुमार, उम्र–5 वर्ष
4. बेबी कुमारी, पिता–शंकर ठाकुर, उम्र–8 वर्ष
5. रीता कुमारी, पिता–नन्हक महतों,उम्र–10 वर्ष
6. काजल कुमारी, पिता–देवलाल साह, उम्र – 10 वर्ष
7. सुमन कुमारी, पिता–लालबहादुर राम, उम्र – 10 वर्ष
8. खुशबू कुमारी, पिता–तेरस प्रसाद, उम्र – 9 वर्ष
9. आशीष कुमार, पिता–अखिलानन्द मिश्रा, उम्र – 5 वर्ष
10. प्रहलाद कुमार, पिता–हरेन्द्र मिश्र, उम्र – 6 वर्ष
11. राहुल कुमार, पिता–उपेन्द्र राय, उम्र – 9 वर्ष

12. अंशु कुमार यादव, पिता–'उपेन्द्र राय, उम्र – 5 वर्ष
13. विकास कुमार, पिता–विनोद महतों, उम्र – 5 वर्ष
14. रौशन कुमार मिश्रा, पिता–बलिराम मिश्र, उम्र – 10 वर्ष
15. राहुल कुमार, पिता–सतेन्द्र राम, उम्र – 8 वर्ष
16. निरहू महतों, पिता–कृष्णा महतों, उम्र – 6 वर्ष
17. ममता कुमारी, पिता–सुरेन्द्र प्रसाद यादव, उम्र – 10 वर्ष
18. शान्ति कुमारी, पिता–विनोद महतों, उम्र – 7 वर्ष
19. अंशु कुमार, पिता–पलि महतों, उम्र – 5 वर्ष
20. आरती कुमारी, पिता–विनोद महतों, उम्र – 9 वर्ष
21. रोहित कुमार, पिता–लालबहादुर राय, उम्र – 5 वर्ष
22. प्रियंका कुमारी, पिता–लालदेव महतों, उम्र – 10 वर्ष
23. शिव कुमार, पिता–राजू साह, उम्र – 7 वर्ष

(1) पीड़ित रामेश्वर महतों का बयान

मेरा नाम रामेश्वर महतों, पिता–स्व॰ कामेश्वर महतों, ग्राम–धर्मासती, पोस्ट–जजौली, थाना–मशरक, जिला–सारण, बिहार का रहनेवाला हूँ। मेरी उम्र – 50 वर्ष, शिक्षा–नवम्, पेशा–मजदूरी है। मैं जाति का कुशवाहा एवं पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूँ। घटना दिनांक – 16/07/2013 को लगभग 12:00 बजे दिन की है। धर्मासती प्राथमिक विद्यालय में प्रायः 15 से 20 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने जाते थे। लेकिन घटना के दिन स्कूल की प्रधान शिक्षिका–मीना देवी के पति– अर्जुन राय ने गाँव में घूमकर किताब बांटने की बात कहकर बच्चों को बुलाया। उस दिन लगभग 50 से 55 बच्चे उपस्थित हुए, जिसमें मेरी दो पोती–आरती कुमारी, उम्र – 8 वर्ष, शान्ति कुमारी, उम्र – 6 वर्ष एवं एक पोता–विकास कुमार, उम्र–4 वर्ष स्कूल गए थें। मैं लगभग 1:00 बजे स्कूल के रास्ते बाजार जा रहा था। तो देखा कि एक बच्चा को लोग टांग कर ले जा रहा है तो मैंने पूछा, तो बताया गया कि इसे पेट में दर्द हो रहा है। मैं भी स्कूल की तरफ भागा, तो देखा तो स्कूल के बच्चे मुंह से उल्टियां और झाग फेंक रहे हैं। कोहराम मचा हुआ था, बहुत लोग इकट्ठा हो गये थे। मैं भी अपने तीनो पोते–पोती को किसी तरह मशरक के सरकारी अस्पताल लेकर गया। सभी लोग एवं ग्रामीण अपने बच्चे को लेकर मशरक भाग रहे थे। अस्पताल लगभग 1:30 बजे पहुंचा।

मशरक अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि हमारा रोजा है। हम रोजा के बाद देखेंगे। तुमलोग बच्चों को लेकर मेन हॉस्पीटल, छपरा जाओ। ग्रामीणों ने हल्ला–गुल्ला किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। सभी लोग अपने बच्चों को छपरा ले जाने लगे। छपरा पहुंचने के क्रम में कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। लगभग 10–12 बच्चे छपरा मेन हॉस्पीटल प्राईवेट गाड़ी द्वारा लाये गये थे। बच्चों का इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज के दौरान सात बच्चों ने दम तोड़ दिया, जिसमें मेरा पोता–विकास कुमार भी था। छपरा में बच्चों की स्थिति खराब होते देख पीएमसीएच जाने को कहा गया। रात्रि के लगभग 1:00 बजे पटना जाने के क्रम में चार बच्चों की मृत्यु हो गई। लगभग डेढ़ बजे रात्रि में पीएमसीएच हॉस्पीटल पहुंचे। पटना अस्पताल में डॉक्टर अमरजीत थे। साथ ही शिक्षामंत्री पी.के.शाही भी मौजूद थे। डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। फिर भी कई बच्चे की मौत हो चुकी थी। मैं अपनी पोती को लेकर वार्ड नं॰–13 में था। दिनांक – 17/7/2013 को सुबह 9:00 बजे लालू प्रसाद आये, लेकिन उन्होंने सांत्वना देने के बजाय कहा कि देख लिया न, नितीश कुमार सब बच्चों को मार दिया। हमें वोट दो। नितीश को गद्दी से उतारो। फिर डॉक्टरों से जल्दी–जल्दी इलाज करने को कहा एवं चले गए। इलाज के दौरान मेरी दोनों पोतियों ने भी दम तोड़ दिया। मृतकों पोस्टमार्टम किया गया। सभी शवों को 17/7/2013 को हमलोग एम्बुलेंस द्वारा धर्मासती गाँव ला रहे थे।

एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मढ़ौरा लाकर खड़ा कर दिया। उसने कहा कि एस.डी.ओ. साहब का आदेश है कि गाड़ी आगे मत ले जाओ। मैंने एस.डी.ओ. साहब से फोन पर बात किया तो उन्होंने जाने का आदेश दिया। एम्बुलेंस जैसे ही पकड़ी पहुंचा, तो विपक्षी ने रोक दिया एवं गांव जाने पर दंगा होने की बात कहने लगा। पकड़ी में लाश उतारकर मोटरसाईकिल से धर्मासती गांव लाया गया। अबतक कुल 23 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें गौंड जाति के – 1, ठाकुर के–1, अनुसूचित जाति के–1, नोनिया–8, यादव–7, ब्राह्मण के–4 एवं कानू –1 बच्चे शामिल हैं। अभी 25 बच्चों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। कुल–12 लड़की एवं 11 लड़के की मौत हो चुकी थी।

स्कूल की प्रधान शिक्षिका मीना देवी ने जान–बूझकर बच्चों को जहर दे दिया है एवं जबर्दस्ती खाना खिलाकर मार दिया है। खाना बनाने वाली मंजू देवी ने तेल के बारे में मीना देवी से शिकायत की, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कही कि रोज बढ़िया खाना खाता है, आज खराब ही खा लेगा तो क्या होगा? उस दिन मीना देवी ने स्कूल का खाना खुद नहीं खाया था। यह गाँव पिछड़ों एवं दलितों का है। हमें पैसा से कोई मतलब नहीं है। हमें पैसा मिले या न मिले, लेकिन जो दोषी हो, उसे सरेआम इसी स्कूल के सामने फांसी पर लटकाया जाय। .....केस द्रुत न्यायालय में चले। सारा परिवार शोकाकुल हैं। घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं। पीड़ितों का सहारा छीन लिया गया है। घटना के दिन संध्या–7:00 बजे डी. आईजी एवं कमिश्नर घटनास्थल पर संध्या–7:00 बजे आये थे। बाकी सभी अफसर छपरा में ही थे। यहां के ज्यादातर परिवार मजदूरी करते हैं। यहां शिक्षा समिति नहीं है। दो शिक्षिका में एक पकड़ी से आती थी, जो 15 दिनों से छुट्टी पर है। स्कूल के प्रांगण में तीन बच्चों को दफनाया गया है। हमलोगों के लिए बच्चों से बड़ा पैसा नहीं है। हमें न्याय चाहिए।

(2) पीड़ित मकेश्वर राम का बयान

मेरा नाम मकेश्वर राम है। पिता–सरीफाराम, ग्राम–धर्मासती, पोस्ट–जजौली, थाना–मशरक, जिला–छपरा का रहनेवाला हूँ। मेरी उम्र–45 वर्ष, शिक्षा–7, पेशा–मजदूरी, मैं जाति का चमार एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ।

राहुल कुमार मेरा पोता था। उसकी उम्र–8 वर्ष थी। प्रतिदिन की तरह दिनांक–16/7/2013 को अपने गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय, धर्मासती पढ़ने गया हुआ था। राहुल कुमार के पिता पंजाब में मजदूरी का काम करते हैं। टी.वी. के माध्यम से सुनकर आज 19/7/2013 को गांव आया है। लगभग 12:00 बजे मेरा पोता राहुल कुमार दौड़ते हुए घर पहुंचा। उस समय मैं घर पर मौजूद था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था एवं पेट पकड़ कर जोर–जोर से दर्द से कराह रहा था। मैंने आनन–फानन में स्थानीय मशरक सरकारी अस्पताल (4 किलोमीटर उत्तर) लगभग 1:00 बजे दोपहर में राहुल को मोटरसाईकिल से लेकर गया। वहां के डॉक्टर द्वारा कहा गया कि रोजा के बाद इलाज करेंगे। उन्होंने छपरा मेन हॉस्पीटल ले जाने की बात कही। मशरक में इलाज नहीं किया गया। मैं पोते को लेकर छपरा अस्पताल पहुंचा। संध्या लगभग 6–7 बजे तक हमसे बात कर रहा था। उसने मुझे पैंट पहनाने को कहा। छपरा अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि इसे तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। फिर उसने दूसरे कमरे में जाने को कहा। मैं राहुल को लेकर दूसरे कमरे में में चला गया। दो घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर ने ऑक्सीजन चढ़ाने को कहा लेकिन ऑक्सीजन नहीं चढ़ाया गया। फिर एकाएक डॉक्टर ने पटना ले जाने को कह दिया। मैं बच्चे को बेडसीट पर ले गया। एक दारोगा, जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है, ने बच्चे से बयान लिया। राहुल कुमार ने दारोगा जी

को बताया कि स्कूल में खाना बना था। खाना अच्छा नहीं होने के कारण मैं नहीं खा रहा था। तो शिक्षिका मीना देवी ने डंडा दिखाकर एवं डांटकर जबर्दस्ती खाना खिला दिया। खाना तीता एवं खराब था। खाना खाने के बाद पेट में दर्द एवं मुंह से झाग निकलने लगा तथा बेचैनी होने लगी। इलाज के अभाव में मेरा पोता–राहुल कुमार छपरा अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।

इस घटना के लिए केवल मीना देवी ही दोषी है, जिसने जान–बूझकर सब्जी में जहर डालकर बच्चे को खिलाकर जान ले ली। मैंने अपने पोते को यहां इसलिए जान–बूझकर दफन किया है, कि यहीं मरा है, इसलिए यहीं दफन किया है। और मांग करता हूँ कि जिस तरह हमने बच्चे को यहां दफन किया है, उसी तरह मीना देवी को भी दफन कर दिया जाय। राहुल ही परिवार का एक सहारा था, जो मीना देवी ने छीन लिया है। दो लाख का चेक मिला है, लेकिन हमें न्याय चाहिए एवं परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिले। इस स्कूल में खाना बन्द कर दिया जाय ताकि आगे इस तरह की और बच्चों के साथ घटना न घटे। यही हमारा बयान है।

(3) पीड़िता मुंगा देवी का बयान

मेरा नाम मुंगा देवी, पति–दारोगा महतों, ग्राम–धर्मासती, पोस्ट–जजौली, थाना–मशरक, जिला–सारण की रहनेवाली हूं। मेरी उम्र–70 वर्ष, शिक्षा – अनपढ़, पेशा–गृहिणी है। मैं जाति की कुशवाहा एवं पिछड़ा वर्ग की सदस्या हूँ।

मेरा पुत्र कृष्णा महतों एवं लालदेव महतों ने, पोता–निरहू महतों, उम्र–10 वर्ष एवं पोती–प्रियंका कुमारी, उम्र–9 वर्ष को कहा कि स्कूल जाओ नहीं तो मारूँगा। चूंकि प्राथमिक विद्यालय, धर्मासती की प्रधान शिक्षिका मीना देवी के पति–अर्जुन राय किताब बांटने की सूचना गाँव में देकर गए थे। खाना बनानेवाली मंजू देवी ने प्रधान शिक्षिका से कही थी कि तेल में बहुत धुआँ हो रहा है, लेकिन मीना देवी ने इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया एवं रसोइया से कही कि तुम खाना बनाओ। सब्जी बनने के बाद काला हो गया था। सभी बच्चे सब्जी खराब होने के कारण खाना नहीं चाह रहे थे। मीना देवी ने बच्चों को मार का डर दिखाकर जबर्दस्ती खाना खाने को मजबूर कर दिया, जिसके कारण बच्चों की मौत हो गई। मेरे दोनों पोता–पोती छपरा अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा मेरी दो पोतियां प्रीति कुमारी, उम्र–7 वर्ष एवं प्रेमण कुमारी, उम्र–6 वर्ष पीएमसीएच में भर्ती है एवं मौत से जूझ रही है।

बच्चों की मौत का कारण सिर्फ मीना देवी है। उसने जहर देकर हमारे बच्चों को असमय ही मार दिया है। दो–दो लाख रू॰ का चेक मिला है, लेकिन इससे हमारा बच्चा जिन्दा तो नहीं हो जायगा। हमलोगों को न्याय चाहिए। जबतक मीना देवी को फांसी नहीं दे दिया जाता है, तबतक हमारे बच्चों एवं परिवार के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।

(4) पीड़ित उपेन्द्र राय का बयान

मेरा नाम उपेन्द्र राय, ग्राम–धर्मासती, पोस्ट–जजौली, थाना–मशरक, जिला–सारण, बिहार का रहनेवाला हूँ। मेरा उम्र–35 वर्ष, शिक्षा–मैट्रिक, पेशा–मजदूरी है। मैं जाति का यादव एवं पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूँ। हमारा पुत्र–अंशु कुमार यादव, उम्र–5 वर्ष एवं राहुल कुमार, उम्र–8 वर्ष। दो ही पुत्र था। दिनांक – 16/7/2013 को मेरा दोनों पुत्र धर्मासती विद्यालय गया था। उस दिन विद्यालय की प्रधान शिक्षिका मीना देवी ने स्कूल के एक बच्चे से अपने घर से डब्बा में सरसों का तेल लाने को कहा। घर के किसी सदस्य ने कीटनाशक दवा के डब्बे में सरसों तेल बच्चे से भिजवा दिया। स्कूल की रसोइया मंजू देवी ने तेल को कड़ाही में डाली, तो धुआँ के साथ जलने लगा। उसने इसकी शिकायत प्रधान शिक्षिका मीना देवी से की। लेकिन मीना देवी ने

बिना सोचे–समझे उसी में सब्जी बनाने को कह दिया। सब्जी बनने के बाद काला हो गया था। उस दिन हमारा पुत्र भी खाना खाया था, लेकिन मीना देवी ने माड–भात खायी थी (यह बात मुझे रसोईया मंजू देवी ने बताया था)। बच्चों को भात एवं सोयाबीन खिलाया गया था। बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन मीना देवी ने डांट–फटकार एवं डरा–धमकाकर खाना खाने को मजबूर कर दिया जिसमें हमारे पुत्र सहित 23 बच्चों की जान चली गई। बच्चों के इलाज में सरकारी अस्पताल में लापरवाही की गई है।

अगर प्रशासन या सरकार चाहती, तो आधे घंटे में डॉक्टरों की टीम पटना से बुंलाई जा सकती थी, जिससे बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। सरकार के पास तंत्र है, फिर भी लापरवाही किया गया है। मुझे घटना के बारे में हल्ला होने पर पता चला तो मैं अपने पुत्रों को मोटरसाईकिल से मशरक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहले पहुंचा था। लेकिन अस्पताल में डेक्सोना की एक वॉयल तक नहीं थी, जिससे बच्चे को दिया जाता। मशरक अस्पताल से मैं अपने खर्च से पुत्रों को रिजर्व गाड़ी से लेकर छपरा हॉस्पीटल गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के 72 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभियुक्त की अभीतक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। घटना की छानबीन निस्पक्ष ढंगसे किया जाय। पैसा से हमारा पुत्र वापस नहीं आ सकता है। तीन दिनों से गाँव में मातम छाया हुआ है। घरों में चूल्हें नहीं जल रहे हैं। हमारा तो सहारा ही छीन लिया गया है।

(5) पीड़ित राजू साह का बयान

मेरा नाम राजू साह, पिता–अशोक साह, ग्राम–धर्मासती, पोस्ट–जजौली, थाना–मशरक, जिला–सारण, बिहार का रहनेवाला हूँ। मेरी उम्र–34 वर्ष, शिक्षा–नन मैट्रीक, पेशा–मजदूरी है।

दिनांक – 16/7/2013 को सुबह 9:00 बजे मेरा पुत्र–शिव कुमार, उम्र–7 वर्ष गाँव के धर्मासती स्कूल में प्रतिदिन की तरह गया था। लगभग 12–1 बजे के बीच सूचना मिली कि स्कूल के बच्चे खाना खाकर दर्द से छटपटा रहे हैं। उस समय मैं घर पर ही था। सुनकर मैं दौड़ते हुए अन्य ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचा, तो देखा कि बच्चों के मुंह से झाग गिर रहा है, एवं दर्द से छटपटा रहा है। मेरा पुत्र भी उसी स्थिति में था। मैंने अपने पुत्र शिव कुमार को गोद में उठाया, ग्रामीणों की भीड़ लग गयी थी। लोग बच्चों को अस्पताल, साइकिल–मोटरसाईकिल से लेकर भाग रहे थे। गांव में कोहराम मचा हुआ था। मैं भी एक ग्रामीण के मोटरसाईकिल से अपने पुत्र को लेकर गम्भीर स्थिति में मशरक अस्पताल पहुँचा। वहां के डॉक्टर अंसारी ने रोजा के बाद इलाज की बात कहकर छपरा ले जाने को कहा। वहां पहले से कई बच्चे पहुंच चुके थे। सात–आठ बच्चों को प्राईवेट गाड़ी से छपरा अस्पताल लाया गया। इलाज शुरू किया गया, लेकिन इलाज के क्रम में मेरा पुत्र मौत के मुँह मे ंचला गया। और भी सात–आठ बच्चे पहले मर चुके थे।

स्कूल की प्रधान शिक्षिका के घर से खाना बनाने के लिए सरसों तेल मंगवाया गया, जिसमें जहर मिलाया गया था। खाना बनाने वाली मंजू देवी ने तेल गाढ़ा होने एवं धुआं की बात मीना देवी से कही थी। लेकिन प्रधान शिक्षिका ने यह कहते हुए ध्यान नहीं दिया कि आज खराब खाना खा लेगा तो क्या होगा? रोज तो अच्छा खाना खाता ही है। बच्चों को जब खाना परोसा गया, तो बच्चों ने खाना पसंद नहीं किया। इसपर मीना देवी ने डरा–धमकाकर कहा कि नहीं खायगा तो पिटाई करेंगे। एवं बच्चों को जहरीला खाना खाने को मजबूर कर दिया गया, जिसके कारण यह मौत की घटना घटी। यह सब एक साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि प्रायः विद्य ालयों में 20–25 बच्चे आते थे, लेकिन उस दिन मीना देवी के पति अर्जुन राय ने गांव में घूमकर बच्चों से किताब बंटने की बात कहकर बुलाया और बच्चों को जहर खिलाकर मार दिया गया।

हमलोगों को मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। जिस तरह मेरे बच्चे की जान ली गई है, उसी तरह दोषियों को सरेआम फांसी दिया जाना चाहिए। आज चार दिन हो गया है, लेकिन दोषी को

गिरफ्तार नहीं किया गया है। गांव में मातम है। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। घटना के दिन संध्या–7:00 बजे डीआईजी यहां आये थे। बाकी अफसर छपरा में थे। हमलोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि दोषियों को सजा दी जाय एवं पीड़ितों को आर्थिक व्यवस्था किया जाय। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।

(6) पीड़ित जयकिशोर मेहता (28 साल) का बयान

पीड़ित बालक सुजीत कुमार, उम्र – 5 वर्ष, वर्ग–II

मेरा नाम जयकिशोर मेहता है। मैं निजी विद्यालय, सत्यम शिक्षा सदन, मशरक में शिक्षक हूँ। 16/7/2013 करीब 12:00 बजे ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि धर्मासती प्राथमिक विद्यालय में जहरयुक्त भोजन खाने से बच्चों की हालत गम्भीर है। मैंने तुरन्त मोटरसाईकिल से जो मेरे विद्यालय से छः–सात किलोमीटर दूरी पर है, गया और बच्चे को लेकर जो पेट के दर्द और उल्टी से परेशान था तथा बेहोशी की हालत में था, मैंने तुरन्त मशरक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जो 6 किलोमीटर दूरी पर है, लाया जहाँ डॉक्टर अंसारी ने कहा कि पहले मुझे रोजा तोड़ने दें उसके बाद इलाज करूँगा। फिर मैंने इसी तरह एम्बुलेंस की मदद से छपरा अस्पताल लाया जहां से मुझे मेरे बच्चे के साथ पटना चिकित्सा हेतु रेफर कर दिया गया। अभी मेरा बच्चा आईसीयू में है, इलाज यहां बेहतर हो रही है। किसी चीज की सेवा में कमी नहीं है। सरकार द्वारा अस्पताल के माध्यम से अच्छा इलाज किया जा रहा है।

(7) पीड़ित सुरेन्द्र प्रसाद यादव (38 साल) का बयान

पीड़ित बालक उपेन्द्र प्रसाद, उम्र – 6 वर्ष, वर्ग–II

दिनांक 16/7/2013 को मैं खेत में था। वहीं पर ग्रामीणों द्वारा चिल्लाने की आवाज सुनकर पूछने पर पता चला कि प्राथमिक विद्यालय में विषयुक्त मध्याह्न भोजन खाने से बच्चों की हालत गंभीर है एवं बच्चे मर रहे हैं। इतना सुनकर दौड़ते हुए किसी तरह अपने दो बच्चे ममता कुमारी, उम्र–10 साल जो बेहोश पड़ी हुई थी तथा उपेन्द्र प्रसाद को किसी दूसरे के मोटरसाईकिल से मशरक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में ले गया लेकिन डॉक्टर अंसारी के इनकार करने पर वहीं के निजी डॉक्टर पाण्डे जी के यहां इलाज कराया लेकिन बच्चों की हालत को देख करके उन्होंने तुरन्त छपरा अस्पताल एम्बुलेंस से भिजवा दिया। लेकिन मेरी बेटी ममता कुमारी का रास्ते में ही मृत्यु हो गई। मैं बहुत गरीब हूँ और परेशान हूँ। मुझे आर्थिक मदद की विशेष जरूरत है जिससे अपने बच्चों का परवरिश कर सकूं।

(8) पीड़ित महिल पाना देवी (38 साल, सहायक कूक) का बयान

पति – लाल बहादुर प्रसाद

पीड़ित बालिका निशा, उम्र –5 वर्ष,

मैं अत्यन्त गरीब महिला हूँ। मैं धर्मासती प्राथमिक विद्यालय में सहायक कूक के रूप में मदद करती हूँ। घटना के दिन मेरी तबियत खराब थी। मेरी बड़ी बच्ची सुमन–11 साल, रोहित–5 साल और जुड़वा बहन निशा–5 साल। विद्यालय में पढ़ रही थीं। प्रधानाध्यापिका मीना कुमारी ने तीन बच्चों को जिसका नाम मुझे मालूम नहीं, अपने घर से खाना बनाने का सामान जैसे–आलू, सोयाबीन, चावल तथा तेल, नमक आदि लाने को बोली। मैं खाना बनानेवाली मंजू देवी के साथ मदद करती हूँ। उसने जब आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाने से पहले कड़ाही में तेल डालकर बनाना चाही तभी तेल डालने के बाद कड़ाही से दुर्गन्ध एवं काला धुआं होने लगा। जिसकी सूचना प्रधानाध्यापिका को दिया गया, लेकिन उसने उसी तेल में खाना बनाने के लिए कहा। उसी तेल में सब्जी बनाई गई तब पूरी सब्जी काला, दुर्गन्धित तथा विषैला महक रहा

था। उसी खाना को सभी बच्चों को परोसने के लिए कहा गया। जब बच्चों ने खाना खाया तो कुछ बच्चों ने पेट में दर्द तथा उल्टी की बात कहने लगे। उसी बच्चों में मेरी बेटी सुमन तथा मेरा बेटा रोहित को पेट में दर्द और उल्टी होने लगा और बेहोश होने लगे। जब मैंने प्रधानाध्यापिका से इन सब चीजों की बात कहा तो उन्होंने मुझे बच्चों का अस्पताल लेकर भागने के बारे में कहा। उसके बाद मैंने उसके बाद मेरे बेटे–बेटी की मृत्यु हो गई, जिसमें मेरी जुड़वा बेटी में से एक निशा अभी गम्भीर हालत में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है।

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की स्थिति

घटना का तथ्य अन्वेषण कर्ता श्री उदय कुमार, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 20/7/2013 को लगभग 2:00 बजे अपराह्न प्रभावित बच्चों का हालत एवं इलाज के बारे में पीड़ितों से मुलाकात कर तथ्य प्राप्त किया कि वहां 24 बच्चे जो जहरयुक्त मध्याह्न भोजन खाने के बाद गम्भीर स्थिति में रात मे लाया गया था। जिसमें से कुछ लोगों से उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली एवं बेहतर इलाज से संतुष्टि एवं सुधार की बात मालूम हुई। उन्होंने आईसीयू में भी इलाज चल रहे तीन बच्चों से मुलाकात की एवं उनके परिजनों से भी घटना एवं इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिसमें पाना देवी, सुरेन्द्र प्रसाद, जयकिशोर मेहता, बलि मेहता, शान्ति देवी, लालदेव महतों नैनी देवी जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती थे, घटना एवं बच्चों के चल रहे इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनलोगों के द्वारा पता चला कि घटना के दिन प्रधानाध्यापिका मीना कुमारी के पति अर्जुन प्रसाद यादव ने सुबह में घर–घर जाकर बच्चों को विद्यालय में किताब मिलने की बात कहकर विद्यालय बुलाया एवं उसके पति जो कुछ दिन पहले अपने ईख के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया था, उसी कीटनाशक दवा का मध्याह्न भोजन में मिलावट से बच्चों का मृत्यु एवं ऐसी दशा हुई है। इसकी पूरी जिम्मेवारी विद्य ालय की प्रधानाध्यापिका एवं उसके पति का है। ऐसा पीड़ित के परिजनों के बयान से प्रतीत होता है। गांव में 23 बच्चों की मृत्यु हो गई है जो काफी दुखदायी है। जब किसी तरह प्रशासन एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाए, उस दिन से पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज की जा रही है तथा सुधार हो रही है। सरकार द्वारा बच्चों के खान–पान तथा सेवा–इलाज दवा के माध्यम से बेहतर किया जा रहा है, जिससे पीड़ित एवं परिजनों में संतुष्टि है। वहीं अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों और नर्सों के साथ बात से जानकारी मिली कि बच्चों की स्थिति में सुधार त्वरित गति से हो रहा है एवं दो से तीन दिन में इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जायगा।

मशरक थाना प्रभारी ए.के. खान का बयान

दिनांक 16/7/2013 को मैं जिला मुख्यालय, छपरा में पुलिस अधीक्षक, सारण के कार्यालय में आपराधिक पुरर्विलोकन बैठक में था। उसी समय थाना के साक्षर सिपाही ने बताया कि मशरक थानान्तर्गत गंडामन गांव के धर्मासती स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जहरयुक्त मध्याह्न भोजन खाने से बच्चों की तबियत खराब हो गई है और कुछ लोग मर गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा थाना एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र मशरक में उपद्रव एवं आगजनी किया जा रहा है। मैंने ये सारी बातें पुलिस अधीक्षक को बताकर मुझे घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तब तक करीब प्रशासन के चार गाड़ियां जलाई गई थीं। उपर्युक्त घटना के बारे में थाना में मीना कुमारी, प्रधानाध्यापिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका संख्या मशरक थाना काण्ड संख्या 134/2013 दर्ज किया गया। अपराधी की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। वह फरार है। स्थिति नियंत्रण में है एवं 23 बच्चों की मृत्यु की खबर है तथा शेष 24 बच्चों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेहतर इलाज हेतु भेजा गया है। मैंने थाना अस्पताल पहुंचकर निजी गाड़ियों की मदद से भी छपरा अस्पताल भेजने

का पूरा प्रयास किया। इस घटना का अनुसंधान जारी है।

देवेश नाथ दीक्षित का बयान

देवेश नाथ दीक्षित सेक्रेटरी, District child welfare committee यह अत्यन्त ही दुःखद घ ाटना है। मुझे जैसे ही सूचना मिली, घटनास्थल पर पहुंचा एवं बच्चों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की।

कोई भी योजना के पहले ट्रेनिंग एवं मॉनीटरिंग की जरूरत है। यह योजना में भी होनी चाहिए। किचेन की व्यवस्था, खाना पैक सामान से बने, रसोईघर में दो से ज्यादा लोग न जायें।

यहां किचेन की व्यवस्था नही है, खुले बरामदे में खाना बनाया जाता है। ग्रामीणों एवं माता–पिता को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। व्यवस्था ऐसा हो कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना की सीबीआई जाँच कराते हुए जो भी दोषी पाये जायें, उसे कड़ी सजा मिले। घ ाटना पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है।

ग्रामीण सतेन्द्र मिश्रा का बयान

इस स्कूल में 15 दिन खाना बनता है, बाकी दिन नहीं बनता है। क्वालिटी अच्छी नहीं होती। 6.50 रू॰ में भी चोरी होती है। 15 दिन खाना नहीं बनता है, इसपर कौन ध्यान देगा? डीएम, एसडीओ, डीइओ को शिकायत का लिखित आवेदन 250 लोगों का हस्ताक्षरयुक्त जनवरी में ही दिया है। लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और न ही कोई जाँच किया गया है। आज मासूमों की जान चली गई। मार्केट से सड़ा हुआ सब्जी बनाने को आता है।

अभियुक्तों की सूची

1. मीना देवी – प्रधान शिक्षिका
2. अर्जुन राय –
3. डॉक्टर अंसारी–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मशरक

दस्तावेज

प्राथमिकी की छायाप्रति और मृत्यु–प्रमाण–पत्र की छायाप्रति

पदाधिकारियों का बयान

सिफारिश – अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन

अन्वेषण से प्राप्त तथ्य

1. प्रधान शिक्षिका द्वारा आपराधिक लापरवाही
2. प्रधान शिक्षिका द्वारा मध्याह्न भोजन की सामग्री अपने घर से प्रबंध करना।
3. प्रधान शिक्षिका ने घटना के दिन छात्रा (मृतक) ममता कुमारी एवं अन्य तीन बच्चों से मध्याह्न भोजन की सामग्री मंगवाई जिसमें कीटनाशक दवा भी मौजूद था।
4. घटना के दिन प्रधान शिक्षिका के पति अर्जुन प्रसाद राय ने किताब वितरण के बहाने बच्चों के घर–घर जाकर बच्चों को विद्यालय बुलाया।
5. मध्याह्न भोजन में चावल, आलू, सोयाबीन की सब्जी सहायक कूक मंजू देवी द्वारा बनाई गई।
6. सब्जी बनाते समय तेल की जगह कीटनाशक दवा डाला गया, जिसका रंग बदबू एवं तेज धुआं की बात सहायक कूक ने प्रधान शिक्षिका को बताया लेकिन उसे नजरअंदाज एवं लापरवाही कर बच्चों को खाना खिलाई गई।

7. प्रधान शिक्षिका द्वारा स्वयं खाना नहीं चखा जाना।
8. रसोईया की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना
9. बच्चों द्वारा दिनांक 16/7/2013 को समय – 12:00 बजे दिन में मध्याह्न भोजन स्कूल में ही खाने से 50 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए एवं पेट में दर्द, उल्टी तथा बेहोश होने लगे।
10. बच्चों की हालत को देखते हुए प्रधान शिक्षिका मदद के बजाय फरार हो गई और न ही अपने उच्च अधिकारियों को एवं ग्रामीणों को इसकी सूचना इलाज हेतु दी। अभियुक्त प्रधानशिक्षका मीना देवी के खिलाफ मशरक थाना काण्ड सं. 154/2013 एवं 302/307/328/120 बी. दर्ज की गई।

11- प्राथमिकी में **SC**/ST (P.O.A.) act 1989 के धारा 3(2) (V), दर्ज नहीं किया गया जबकि मृतक अनुसूचित जाति का सदस्य भी है।

12- जान–बूझकर अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा कारित करने पर प्रधान शिक्षिका के विरूद्ध प्राथमिकी में **SC**/ST (P.O.A.) act 1989 के धारा 4 दर्ज नहीं की गई।

13. तथ्य अन्वेषण तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई।
14. मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन में अनियमितता
15. विद्यालय में रसोईघर की व्यवस्था नहीं, खुले जगह में खाना बनाया जाना।
16. कीटनाशक दवायुक्त तेल में खाना बनाया गया।
17. सामुदायिक भवन में स्कूल चलाया जाना।
18. मशरक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में डॉक्टरों द्वारा लापरवाही
19. मशरक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में पर्याप्त दवा एवं डॉक्टरों का अभाव।
20. जिला प्रशासन सारण तथा जिला अस्पताल द्वारा प्रभावित बच्चों के लिए त्वरित उपचार हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई।
21. जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था पर नियंत्रण बनाई गई।
22. ग्रामीणों द्वारा प्रशासन के चार गाड़ियों को जलाई गई तथा इस संदर्भ में ग्रामीणों के खिलाफ मशरक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
23. प्रभावित बच्चों के परिजन आर्थिक रूप से काफी गरीब एवं खेतिहर मजदूर हैं एवं उनमे अधिकतर अन्य प्रदेशों में जीविकोपार्जन हेतु पलायन किए हुए हैं।
24. सरकार की योजनाओं से परिजन बिचौलियों के चलते लाभान्वित नहीं हैं।
25. मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा दो लाख रूपये मुआवजा दिया गया।
26. प्रभावित 24 बच्चों का पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रही है जो संतोषजनक एवं सुधारजनक है, इसकी जानकारी तथ्य अन्वेषक के अस्पताल में निरीक्षण एवं परिजनों के बातचीत द्वारा मालूम हुई।
27. मृतक के कुछ परिजन घटना से आहत होकर मानसिक रूप से विचलित एवं बीमार हो चुके हैं।
28. ग्रामीणों, विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय की गतिविधियों की निगरानी सतत् नहीं की गई।
29. ग्रामीणों द्वारा विद्यालय में गड़बड़ियों को जिला प्रशासन की जानकारी में 13/01 2013 को दी गई लेकिन गम्भीरता से शिक्षा विभाग ने कार्रवाई नहीं की।

सिफारिश

1- प्राथमिकी में अभियुक्त के खिलाफ SC/ST की धारा 3(2) (V), धारा 4 लगाया जाय एवं शीघ्र निस्पादन हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर मामले की सुनवाई की जाय।

2. पीड़ित अनुसूचित जाति सदस्य सत्येन्द्र राम को 5 लाख का मुआवजा दिया जाय एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत सरकारी नौकरी, इन्दिरा आवास, पेंशन एवं तीन महीने तक का खाद्य सामग्री के अलावा जीवन बसर करने के लिए जमीन की व्यवस्था किया जाय।
3. प्रभावित परिजनों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए पाँच–पाँच लाख रू॰ का विशेष पैकेज की व्यवस्था अतिशीघ्र किया जाय।
4. प्रभावित परिजनों को सरकारी योजनाओं के साथ अतिशीघ्र जोड़ा जाय एवं जीविका (जल एवं स्वास्थ्य प्रबंधन) विभाग, ग्रामीण विभाग, शिक्षा विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा मुख्यमंत्री द्वारा चलाये जा रहे विशेष योजनाओं के साथ अतिशीघ्र जोड़ा जाय।
5. नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष भवन, सुविधा प्रदान किया जाय।
6. मध्याह्न भोजन वितरण हेतु पंचायत के जन वितरण प्रणाली दूकान, अन्य अधिकृत दूकान, गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक संगठन, कम्पनी (गुणवत्ता), को अधिकृत एवं संचालित किया जाय।
7. विद्यालय को सामुदायिक रूप से जिम्मेवारी हेतु निगरानी, दस्तावेजीकरण तथा शिकायत के तरीकों का प्रशिक्षण ग्रामसभा सदस्य को दिया जाय।
8. विद्यालय शिक्षा समिति के साथ प्रधानाध्यापिका, सहायक कूक तथा बच्चों द्वारा निगरानी का प्रशिक्षण दिया जाय।
9. विद्यालयों में प्रथम चिकित्सा केन्द्र के अलावा समय–समय पर आंगनबाड़ी तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के नर्सों और डॉक्टरों का नियमित व्यवस्था किया जाय तथा आपदा–प्रबंधन के तरीको को भी बच्चों एवं ग्रामीणों को भी बताया जाय।
10. सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों द्वारा लक्षित स्कूलों की निगरानी हेतु अधिकृत किया जाय।
11. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त दवा, एम्बुलेंस, चिकित्सक, नर्स, टेलीफोन आदि की व्यवस्था किया जाय।
12. विद्यालयों में समय–समय पर स्वास्थ्य, आपदा–प्रबंधन के मार्गदर्शकों का प्रशिक्षण तथा होल्डिंग लगाया जाय एवं गैर सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा जागरूकता हेत पर्याप्त संसाधन तथा सुविधा मुहैया कराया जाय।
13. प्रभावित परिजनों को चिकित्सीय कौंसिलिंग कर मनोबल को बढ़ाया जाय एवं प्रोत्साहित किया जाय।
14. मशरक अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाय।
15. घटना में उच्च स्तरीय जांच हो।
16. पीड़ित परिवारों को तत्कालिक आर्थिक सहायता दिया जाय और क्षति पूर्ति हो।
17. सम्बंधित विभागों एवं लोकसेवकों को जिम्मेवार बनाने हेतु विभागों द्वारा समय–समय पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाया जाय।
18. सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी, रिपोर्ट, बाधा–विश्लेषण हेतु स्वायत्त रूप से गुंणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं निगरानी, प्राधिकरण बनाया जाय जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यो को सम्मिलित किया जाय।

संलग्नक

फोटो, प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतक एवं प्रभावित बच्चों की सूची।

प्रस्तुतकर्ता

उदय कुमार
अधिवक्ता (पटना उच्च न्यायालय)
फोन नं० – 9955489362
Email – udaydashra@gmail.com